न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –143/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. गणपतराम पुत्र केवलराम 2. भंवरूराम पुत्र केवलराम जातियान जाट निवासीगण पींपलिया तहसील खींवसर जिला नागौर		1. सुखराम पुत्र उदाराम 2. मुलतानराम पुत्र उदाराम 3. आसुराम पुत्र तेजाराम 4. रामीदेवी पुत्री रूघनाथराम 5. शांतीदेवी पुत्री रूघनाथराम 6. सिपुदेवी पुत्री रूघनाथराम 7. भेरीदेवी पुत्री रूघनाथराम 8. सुगनाराम पुत्र हुकमाराम जातियान जाट, निवासीगण पींपलिया तहसील खींवसर जिला नागौर 9. तहसीलदार खींवसर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री भागीरथ चौधरी
2. रेस्पोडेन्ट संख्या–2,3 व 8 की ओर से वकील श्री रामदेव निम्बड़, रेस्पोडेण्ट संख्या 9 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 22-04-2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के तहत तहसीलदार खींवसर द्वारा धारा 52 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत बंटवाडा के संबंध में पारित आदेश कमांक–2748 दिनांक 01.07.2016 से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.12.2018 को प्रस्तुत की है। अपीलांट्स की अपील ताबे उज्र मयाद दर्ज रजिस्टर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 4 से 7 ने हस्तगत प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्ट ने मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ अपना शपथ–पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्टस् ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त गलत बंटवाडे व विधि विरूद्ध करवाये तर्कनामा की जानकारी अपीलांट को मोके पर हुए मौखिक बंटवाडा अनुसार कब्जा होने से पूर्व में जानकारी नहीं हो सकी और हाल ही में 5–7 दिन पूर्व रेस्पोडेन्ट सुखराम ने अपीलांट को मौके से उनके बंट से बेदखल करने व उक्त भूमि किसी अजनबी धनाढ्य व्यक्ति को बेचने की धमकी दी तब अपीलांट ने निवेदन किया कि हमने मौके पर किये बंटवाडा अनुसार ही बंटवाडा करवाया था तो सुखराम ने कहा कि यहां आपका कब्जा है वह भूमि कागजों में मेरे नाम बोल रही है इसलिए मै अपनी मर्जी अनुसार रेकर्ड के आधार पर बेचान करूंगा व खरीददारान अपने आप बेदखल कर कब्जा कर लेगे। जिस पर अपीलांट ने तुरन्त तहसील में जाकर कथित बंटवाडे फार्म आदि की सम्पूर्ण नकले दिनांक 17.12.2018 को ली व राजस्व रेकर्ड की खतौनीया दिनांक —— 18.12.2018 को प्राप्त की तब उक्त हुऐ गलत बंटवाडे व गलत तर्कनामा की जानकारी हुई जिससे कानूनी सलाह मशविरा हेतु दिनांक 19.12.2018 को नागौर आये अधिवक्ता नियुक्त कर सलाह कर अपील तैयार करवाई व दिनांक 20.12.2018 को उक्त बंटवाडा आदेश/निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई। चूंकि तर्कनामा शुरू से ही अवैध व बेअसर था इसलिए उसे अन्य किसी न्यायालय से अवैध घोषित करवाने की आवश्यकता नहीं है इन परिस्थितियों में देरी माफ कर अपील तारीख जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करना न्याय संगत होने का कथन करते हुए न्याय हित में देरी माफ कर अपील तारीख जानकारी से अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया।

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 9 राजपैरोकार ने बहस का विरोध करते हुए अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील रेस्पोडन्ट 2,3, व 8 ने प्रार्थी का मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर उन्हे कोई आपत्ति नहीं होने का कथन किया।

अपीलान्ट के अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में अपील की मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 7 की पुश्तैनी व रेस्पोडेन्टस संख्या 8 की सहखातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 2041 रकबा 18 बीघा, खसरा नम्बर 1389 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 1401 रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1883 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 1884 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 1885 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 1971 रकबा 24 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 2010 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 2011 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 2038 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1392 रकबा 43 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 1404 रकबा 15 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1416 रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा वाके सरहद मौजा पींपलिया रही है। इनके अलावा खसरा नम्बर 3100/44 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा वाके सरहद मौजा थाम्बडिया अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 की पुश्तैनी भूमि स्थित रहती चली आई है व खसरा नम्बर 105 रकबा 7.3200 हैक्टेयर मौजा कोशेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 के संयुक्त परिवार की आमदनी से खरीदसुदा खेत है जो खरीद के समय रूकमादेवी पुत्री मुकनाराम के नाम करवाई गयी थी मगर मौके पर सभी का कब्जा हक अधिकार रहता आया है।

उक्त खसरान का पक्षकारान ने मौके पर मौखिक बंटवाडा करके अलग अलग काबिज हो गये जिनमें अपीलांट्स के हक में खसरा नम्बर 1392 में सें 12 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 1971 में सें 16 बीघा 7 बिस्वा रखे गये व खसरा नम्बर 2041 रकबा 18 बीघा अपीलांट्स व मुलतानराम के शामिल रखा गया व रेस्पोडेन्ट सुखराम के बंट में खसरा नम्बर 1401 मे सें 16 बीघा, खसरा नम्बर 1404 सम्पूर्ण 15 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 1971 में से 3 बीघा 7 बिस्वा कुल 34 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 105 मौजा कोशेलाव तहसील सुमेरपुर जिला पाली रखा गया एंव रेस्पोडेन्ट मुलतानराम के बंट में खसरा नम्बर 1392 में सें 22 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 1971 में सें 5 बीघा व खसरा नम्बर 2038 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा बंट में रखे गये। रेस्पोडेन्ट आसुराम के बंट में खसरा नम्बर 1884 में सें 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2010 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 2011 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 1416 रकबा 31 बीघा 2 बिस्वा व रेस्पोडेन्ट सुगनाराग तथा सीपु, शांति, भेरी व रामी के बंट में खसरा नम्बर 1389 में सें 23 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 1392 में सें 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1884 में सें 10 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1883 में सें 0.03 बीघा, खसरा नम्बर 1885 रकबा 0.03 बीघा रखे गये एंव खसरा नम्बर 1389 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नम्बर 1392 में सें 0.07 बीघा, खसरा नम्बर 1401 रकबा 0.04 बीघा में रेस्पोडेन्ट मुलतानराम का 1/4 हिस्सा, सुखराम का 1/4 हिस्सा, उदाराम सुगनाराम व रामी, शांति, सीपूदेवी, भेरीदेवी का 1/4 हिस्सा व गणपतराम, भंवरूराम का 1/4 हिस्सा रखा गया एंव खसरा नम्बर 3100/44 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा मौजा थाम्बडिया सभी पक्षकारान खातेदारों के शामलाती रखा गया जिसका भौतिक विभाजन नहीं करवाया गया।

तत्पश्चात् मौखिक रूप से हुऐ बंटवाडे व गौके पर काबिज काश्त अनुसार बंटवाडा हेतु खींवसर आये व सुखराम को उपर वर्णित मौखिक बंटवाडा अनुसार आपसी सहमति से ही लिखित बंटवाडा करवाने का कहा लेकिन उक्त सुखराम जो कि चतुर व चालाक है उसने मौके पर काबिज अनुसार बंटवाडा फार्म में बंट नहीं बताकर अपनी सुविधानुसार जिस पर रेस्पोडेन्ट सुखराम का बंट व कब्जा नहीं था फिर भी खसरा नम्बर 1392 में सें 7 बीघा 1 बिस्वा व खसरा नम्बर 1404 में सें 2 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 1971 में सें 24 बीघा 14 बिस्वा अपने बंट में बता दिया व रेस्पोडेन्ट गुलतानराम तथा अपीलांट के बंट में जो भूमि आई उसके विपरीत बंट बता दिया व अपीलांट के खसरा नम्बर 1401 गें सें 16 बीघा व खसरा नम्बर 1404 में सें 12 बीघा 8 बिस्वा गलत रूप से लिखा दिया इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट मुलतानराम के बंट में खसरा नम्बर 1392 में सें 27 बीघा 19 बिस्वा गलत दर्शा दिया जिसकी भनक सुखराम ने किसी को नहीं लगने दी व उसी दिन सुखराम ने एक कूटरचित दस्तावेज तैयार करके मौजा थाम्बडिया के खसरा नम्बर 3100/44 का तर्कनामा खातेदारों से अपने हक में अवैध रूप से करवा कर व

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

बंटवाडा फार्म का कह कर व सभी पक्षकारान द्वारा सुखराम पर अटूट विश्वास ने का नाजायज फायदा उठा कर आनन फानन में उनके अं.नि. व हस्ताक्षर करवा लिये व उक्त खेत का अवैध रूप से तर्कनामा करवा कर सम्पूर्ण भूमि वाले वाले अकेले अपने नाम करवा ली। जबकि रेस्पोडेन्ट सुखराम के बंट में मौजा पींपलिया की उपर बतायी भूमि व गांव कोशेलाव में स्थित पक्षकारान की भूमि को ही बंट में रखा था। लेकिन बदयान्तीपूर्वक सुखराम ने मौजा थाम्बडिया की भूमि का गलत रूप से तर्कनामा अपने हक में निष्पादित व पंजियन करवा लिया व पींपलिया में स्थित खेताय में मौके पर कब्जा के विपरीत बंटवाडा फार्म में खेताय दर्शा कर उनका भी गलत रूप से बंटवाडा करवा लिया।

उक्त हुऐ गलत बंटवाडे व विधि विरूद्ध करवाये तर्कनामा की जानकारी अपीलांट को मौके पर हुऐ मौखिक बंटवाडा अनुसार कब्जा होने से पूर्व में जानकारी नहीं हो सकी और हाल ही में 5–7 दिन पूर्व रेस्पोडेन्ट सुखराम ने अपीलांट को मौके से उनके बंट से बेदखल करने व उक्त भूमि किसी अजनबी धनाढ्य व्यक्ति को बेचने की धमकी दी तब अपीलांट ने निवेदन किया कि हमने मौके पर किये बंटवाडा अनुसार ही बंटवाडा करवाया था तो सुखराम ने कहा कि जहां आपका कब्जा है वह भूमि कागजों में मेरे नाम बोल रही है इसलिए मै अपनी मर्जी अनुसार रेकर्ड के अधार पर बेचान करूंगा व खरीददारान अपने आप बेदखल कर कब्जा कर लेगे। जिस पर अपीलांट ने तुरन्त तहसील में जाकर कथित बंटवाडे फार्म आदि की सम्पूर्ण नकले दिनांक 17.12.2018 को ली व राजस्व रेकर्ड की खतौनीया दिनांक 18.12.2018 को प्राप्त की तब उक्त हुऐ गलत बंटवाडे व गलत तर्कनामा की जानकारी हुई जिससे कानूनी सलाह मशविरा हेतु दिनांक 19.12.2018 को नागौर आये अधिवक्ता नियुक्त कर सलाह कर अपील तैयार करवाई व दिनांक 20.12.2018 को उक्त बंटवाडा आदेश/निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। चूंकि तर्कनामा शुरू से ही अवैध व बेअसर था इसलिए उसे अन्य किसी न्यायालय से अवैध घोषित करवाने की आवश्यकता नहीं है।

आदेश/निर्णय जैर अपील रेस्पोडेन्ट सुखराम ने अपीलांट सहित अन्य रेस्पोडेन्ट के साथ छल व धोखाधडी करते है विश्वास की स्थिति का नाजायज फायदा उठा कर मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत निर्णय करवाया होने से खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सुखराम को यह भलीभांती जानकारी थी कि मौखिक बंटवाडे व मौके पर काबिज काश्तकार अनुसार बंटवाडा फार्म में खेतों के बंटवाडे का सही अंकन नहीं किया है फिर भी सुखराम की नियत शुरू से साफ नहीं थी व अपीलांट के बंट व उपजाऊ की हुई भूमि को किसी अन्य क्रेता को भारी कीमत प्राप्त कर बेचेने की बदनियति से बंटवाडा फार्म में मौखिक व काबिज बंट के विपरीत खेतों का अंकन करके बंटवाडा करवाया है जिससे भी उक्त आदेश शुरू से ही अपीलाट्स व दीगर रेस्पोडेन्ट के हितों के विपरीत था व है तथा अपास्त किये जाने योग्य है। प्रकरण हाजा में जिस तरह का बंटवाडा आदेश करवाया है उसमें अपीलांट्स की कभी सहमति नहीं रही थी और बिना सहमति के छल कपट सये करवाया गया आदेश/निर्णय विधि सम्मत नहीं है अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट्स व दीगर रेस्पोडेन्ट सुखराम पर अटूट विश्वास करते थे जिसको उसने नाजायज फायदा उठाकर पक्षकारों के काबिज अनुसार बंटवाडा नहीं करवा कर मनमर्जी से भूमियां बंट में बताकर व जल्दबाजी में अपीलांट्स व दीगर पक्षकारों के अं.नि. व हस्ताक्षर करवा कर ऐसा निर्णय/आदेश करवाया है जो अपीलांट्स को कतई स्वीकार नहीं था न है न ही ऐसे बंटवाडा में कभी अपीलांट की सहमति रही है और बिना सहमति के धारा 53 रा0टि0 एक्ट के तहत तहसीलदार के यहां से बंटवाडा आदेश पारित नहीं करवाया जा सकता है इन परिस्थितियों में निर्णय/आदेश जैर अपील अपास्त/निरस्त/सांशोधित करते हुऐ पत्रावली अधिनस्थ तहसीलदार खींवसर के समक्ष रिमाण्ड कर अपीलांट्स सहित सभी पक्षकारों को सुनकर उनकी सहमति लेकर वास्तविक काबिज अनुसार बंटवाडा करने के निर्देश दिये जाना आवश्यक व न्याय संगत होने का कथन करते हुए अपील स्वीकार कर निर्णय/आदेश अपास्त/निरस्त फरमाया जावे विकल्प में पत्रावली सभी पक्षों को सुनकर मौके पर काबिज अनुसार सहमति लेकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिगाण्ड की जाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट श्री रामदेव निम्बड़ ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2,3 व 8 की ओर से बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का समर्थन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह अचीणा ने बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट की लिखित सहमति से एवं उनके काबिज होने के अनुसार

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश बंटवारा जैर अपील पारित किया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट ने धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नया बंटवाड़ा फार्म में खसरा नम्बर 1401 रकबा 16.00 बारानी 2 एवं खसरा नम्बर 1404 में से 12.08 बारानी–2 पर काबिज व खातेदार होना बताते हुऐ तद्नुसार बंटवाड़ा करने हेतु अपना अगुष्ठ निशान/हस्ताक्षर किये है, जिनकी पहचान पटवारी पीपलिया द्वारा की गई है। तत्पश्चात पटवारी पीपलिया ने प्रार्थी द्वारा उपरोक्तानुसार काश्त करने एवं सहमति से अलग–2 बंटवाड़ा करना चाहते का उल्लेख करते हुए उक्त बंटवाड़े की अभिशंषा की है। उक्त आधार पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा आपसी सहमति बंटवाड़ा करने की अनुशंषा की, जिस पर तहसीलदार खींवसर द्वारा आदेश कमांक–2748 दिनांक 01.07.16 से बंटवाड़ा स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा उक्तानुसार बंटवाड़ा के संबंध में नक्शा नकल लट्ठा ट्रेस मौजा पिपलिया का प्रस्तुत किया है, जिस नक्शे में भी उपरोक्तानुसार ही अपीलान्ट के खसरा नम्बर एवं रकबा आदि का उल्लेख किया हुआ है एवं उक्त नक्शा नकल लट्ठा ट्रेस पर उपरोक्तानुसार सहमति से बंटवाड़ा चाहते का नोट अंकित है एवं जिस पर अपीलान्ट के अगुष्ठ निशान/हस्ताक्षर आदि किये हुऐ है, जिनकी पहचान पटवारी पीपलिया द्वारा की गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा तत्समय सहमति से बंटवारा करवाया था। वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह साबित हो की उक्त बंटवाड़ा अपीलान्टस् की सहमति के बिना किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बंटवाड़ा आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खींवसर द्वारा पारित आदेश जैर अपील दिनांक 01.07.2016 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड भिजवाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner